

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई०ए०एस०

विविध प्रकरण सं. 88/2024

प्रार्थीगण-

- 1.1 श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार -भावी दत्तक माता-पिता  
शर्मा निवासी प्लॉट नम्बर 60 रिद्धी सिद्धि  
नगर सामोद रोड, निमड़ी, चौमू, जिला  
जयपुर-303702 (राजस्थान)
- 1.2 श्रीमती श्रद्धा तिवाड़ी पत्नी श्री विनोद कुमार  
शर्मा निवासी प्लॉट नम्बर 60 रिद्धी सिद्धि  
नगर सामोद रोड, निमड़ी, चौमू, जिला  
जयपुर-303702 (राजस्थान)
2. अधीक्षक, राजकीय शिशु गृह एवं दत्तक -दत्तकग्रहण स्थापन एजेन्सी  
ग्रहण स्थापन एजेन्सी, बाल अधिकारिता  
विभाग, बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 58 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 वास्ते अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालिका (तरूणा) का देश के भीतर दत्तकग्रहण।

आदेश

दिनांक : 04.11.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 58 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 वास्ते अनाथ अथवा परित्यक्त अथवा अभ्यर्पित बालिका (तरूणा) का देश के भीतर दत्तकग्रहण पेश किया गया। प्रार्थीगण सं. 1 द्वारा अनुसूची-8 में दत्तकग्रहण पूर्व पोषण वचनबद्धता का शपथ-पत्र एवं प्रार्थी सं. 2 द्वारा अनुसूची-XXIII में इस प्रार्थना-पत्र के तथ्यों एवं दत्तकग्रहण के समर्थन में नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।



2. प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रार्थी सं. 2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 65 के अधीन राज्य सरकार से किशोर न्याय अधिनियम और दत्तकग्रहण विनियमों के उपबंधों के अनुसार अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालकों के दत्तकग्रहण के माध्यम से पुनर्वास के लिये मान्यताप्राप्त दत्तकग्रहण एजेन्सी हैं। प्रार्थीगण सं. 1 भावी दत्तक माता-पिता हैं जिनके द्वारा बालक दत्तकग्रहण संसाधन सूचना और मार्गदर्शक प्रणाली (केयरिंग्स) पर ऑनलाईन आवेदन किये जाने पर आवेदक का पंजीकरण सं. PrRa183294869 पर किया गया। उक्त प्रार्थीगण सं. 1 की दत्तकग्रहण बाबत उनकी पात्रता एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन इस बाबत मान्यता प्राप्त पुष्पेन्द्र कश्यप, परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी, राजकीय शिशु गृह

  
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर



जयपुर द्वारा किया जाकर अनुसूची-VII में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। इस दत्तकग्रहण में दत्तक के रूप में दिये जाने वाली बालिका (तरूणा) को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 38 के अधीन बाल कल्याण समिति बाड़मेर द्वारा आदेश क्रमांक 773 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है, जिसका विस्तृत अभिकथन अनुसूची-1 में वर्णित किया गया है।

3. प्रार्थीगण सं. 1 को केयरिंग्स द्वारा उक्त बालिका तरूणा को दत्तक हेतु नामांकित किये जाने पर बालिका का चिकित्सा जांच एवं परीक्षण करवाया जाकर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी शिशुगृह, बाल अधिकारिता विभाग, बाड़मेर द्वारा परिशिष्ट-III में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें किसी प्रकार की प्रतिकूल अवस्था को नहीं दर्शाया गया है। उक्त बालिका को विशेषज्ञ दत्तकग्रहण अभिकरण/बालक देखरेख संस्था राजकीय शिशु गृह एवं दत्तक ग्रहण स्थापन एजेन्सी, बाल अधिकारिता विभाग, बाड़मेर में दिनांक 23.05.2024 को प्रविष्ट किया गया है। प्रार्थीगण सं. 1 दत्तक आवेदक दम्पति को केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) दिल्ली के द्वारा बालिका (तरूणा) की जन्म दिनांक 22.05.2024 को ऑनलाईन मिलान कराने के उपरांत दत्तक ग्रहण समिति बाड़मेर की बैठक दिनांक 24.10.2024 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी सं. 2 द्वारा अपने आदेश क्रमांक 388 दिनांक 24.10.2024 द्वारा बालिका को दत्तक पूर्व फोस्टर केयर में 03 माह की अवधि के लिये दिया गया है।
4. प्रार्थीगण द्वारा संयुक्त रूप से उपस्थित होकर यह प्रार्थना-पत्र किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 58 के तहत प्रस्तुत कर उक्त बालिका (तरूणा) को भावी माता-पिता को दत्तकग्रहण में देने तथा विधि द्वारा अनुज्ञेय सभी प्रयोजनों के लिये उन्हें माता-पिता घोषित करने के साथ-साथ जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को विनियम 40 के उपबन्धों के अनुसार बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र जारी करने के निर्देश जारी करने हेतु निवेदन किया गया है।




हमने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 57 में यथा उल्लेखित भावी माता पिता की पात्रता के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध दस्तावेजों एवं गृह अध्ययन रिपोर्ट अनुसूची-VII का अवलोकन करने से पाया जाता है कि प्रार्थीगण सं. 1 आवेदित दत्तक ग्रहण हेतु सक्षम हैं तथा दत्तक में दी जाने वाली बालिका (तरूणा) के भावी जीवन की सुरक्षा व संरक्षण करने की जिम्मेदारी का निर्वहन भली-भांति कर सकते हैं। इसी आशय की वचनबद्धता का शपथ-पत्र अनुसूची-8 में नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत किया गया है। दत्तकग्रहण हेतु भावी माता-पिता की चिकित्सा जांच Dr. M.L. Khatri Assistant Professor Govt. Medical College, Barmer द्वारा की जाकर अपनी रिपोर्ट में किसी प्रकार के दीर्घ अवधि के असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होना उल्लेखित किया

गया हैं। इस क्रम में प्रार्थीगण सं. 1 के व्यक्तिगत जीवन आचरण एवं व्यवहार की पुष्टि हेतु स्वतंत्र गवाह के रूप में श्री रतनलाल सैनी पुत्र श्री छितरमल सैनी जाति माली निवासी वार्ड नंबर 01 सामोद रोड निमड़ी मौरेजा तहसील चौमू जिला जयपुर एवं नन्चूलाल सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी जाति माली निवासी रघुनाथ दास जी की बगीची रिंगस रोड चौमू तहसील चौमू जिला जयपुर द्वारा संदर्भ हेतु वचनबद्धता पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। बाल कल्याण समिति, बाड़मेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 773 दिनांक 29.07.2024 द्वारा दत्तक में दिये जाने हेतु बालिका (तरुणा) को दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। अप्रार्थी सं. 2 द्वारा अनुसूची-XXIII में इस प्रार्थना-पत्र के एवं तथ्यों दत्तकग्रहण के समर्थन में नोटेरी से तस्दीकशुदा शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. प्रकरण में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 58, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2016 के अध्याय-7 एवं दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के अनुच्छेद-12 में यथा प्राविधित प्रार्थीगण सं. 1 की पात्रता की पूर्ण जांच एवं प्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से इस बात की पूर्ण संतुष्टि है कि दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित बालिका (तरुणा) जिसका भावी माता-पिता द्वारा रखा गया नया नाम तन्विजा शर्मा को प्रार्थी सं. 1 को दत्तक के रूप में दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर बाल कल्याण समिति बाड़मेर के आदेश क्रमांक 773 दिनांक 29.07.2024 द्वारा दत्तकग्रहण के लिये वैध रूप से स्वतंत्र घोषित बालिका तरुणा जिसका भावी माता-पिता द्वारा रखा गया नया नाम तन्विजा शर्मा को प्रार्थीगण सं. 1 श्री विनोद कुमार शर्मा पुत्र श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा निवासी प्लॉट नम्बर 60 रिद्धी सिद्धि नगर सामोद रोड, निमड़ी, चौमू, जिला जयपुर-303702 (राजस्थान) एवं श्रीमती श्रद्धा तिवाड़ी पत्नी श्री विनोद कुमार शर्मा निवासी प्लॉट नम्बर 60 रिद्धी सिद्धि नगर सामोद रोड, निमड़ी, चौमू, जिला जयपुर-303702 (राजस्थान) को दत्तक के रूप में दिये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थी सं. 2 को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रार्थीगण सं. 1 को सुपुर्द कर पावती प्रस्तुत करें तथा दत्तक में दी गई बालिका के सम्बन्ध में विनियम के अनुच्छेद-13 में यथा प्राविधित समय-समय पर प्रार्थीगण सं. 1 के गृह अध्ययन की रिपोर्ट निर्धारित प्ररूप में प्राप्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस दत्तकग्रहण आदेश के अनुसरण में दत्तक बालिका (तरुणा) नया नाम तन्विजा शर्मा का विनियम 40 के उपबन्धों के अनुसार जन्म पंजीकरण हेतु एक प्रमाणित प्रति जन्म-मृत्यु पंजीयक, आयुक्त नगर परिषद बाड़मेर को प्रेषित हों।



  
(टीना डाबी)  
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर